2430 E दि. 28/3/18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 28/03/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत Widening and Strengthening Karhagola-Phulwariya road in km 0 to 13 and 14th part under CRF for the year 2016-17 के निविदा पर प्राप्त परिवाद के संबंध में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening Karhagola-Phulwariya road in km 0 to 13 and 14th part under CRF for the year 2016-17
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, कटिहार।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹3074.97 लाख। विभागीय पत्रांक–10750(एस0) दिनांक 22.11.2017
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2957.76 लाख। मु0अभि0, उ0बि0उ0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक–3313(अनु0) दिनांक 23.11.2017
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹25,54,28,497.00
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	15 months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेडरिंग (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	05.12.2017

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित छः संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd.
(2) M/s Dayanand Prasad Sinha and Company
(3) M/s Narsingh Construction
(4) M/s Simanchal Construction
(5) Shankar Agarwal
(6) Topline Infra Projects Limited

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 24.01.2018 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा छः निविदाकारों में से तीन निविदाकार को तकनीकी बीड में सफल तथा तीन निविदाकार यथा (i) M/s H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. (ii) M/s Simanchal Construction एवं (iii) Topline Infra Projects Limited को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक–601(ई0) दिनांक 24.01.2018 द्वारा संसूचित है।

28.3

5. विभागीय निविदा समिति के निर्णय के विरूद्ध निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा 27.01.2018 को परिवाद समर्पित किया गया जिसके आलोक में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक–444 दिनांक 13.02.2018 द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा समर्पित किया गया गया है जो निम्नवत् है :–

5.1 दिनांक 05.12.2017 को आमंत्रित निविदा में निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–343–सह–पठित ज्ञापांक–11792(भ0) दिनांक 29.12.17 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए भवन निर्माण विभाग के सभी कार्यों से निलंबित किया गया है। पुनः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–298(भ0) दिनांक 10.01.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में यदि किसी संवेदक को एक वर्ष के लिए विभागीय कार्यों से निलंबित किया जाता है तो इसका प्रभाव हर विभाग पर पड़ेगा और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में इनको एक वर्ष तक कार्य आवंटित नहीं किया जा सकेगा। इस कारण तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–343–सह–पठित ज्ञापांक–11792(भ0) दिनांक 29.12.17 एवं ज्ञापांक–298(भ0) दिनांक 10.01.2018 के तहत् तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिया गया। विभागीय निविदा समिति के निर्णय के आलोक में उपभागीय पत्रांक–190(अनु0) दिनांक 25.01.2018 द्वारा दिनांक 29.01.18 के 4.00 बजे अपराह्न तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को निदेशित किया गया।

तकनीकी बीड में असफल निविदाकार टॉपलाईन इन्फ्रा प्राजेक्ट्स प्रा0 लि0 के संदर्भ में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–598/2018 में दिनांक 25.01.2018 को पारित माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आवेदन संलग्न कर समर्पित किया गया है।

दिनांक 25.01.2018 को पारित सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–598/2018 में मुख्य आदेश/निदेश निम्नवत् है :–

(i) As prayed on behalf of the respondents, three week's time is granted to file counter affidavit.

(ii) List this matter on 16.02.2018

(iii) The impugned order dated 29.12.2017 (Annexure-5) shall remain in abeyance till further orders.

अतः निविदाकार टॉपलाईन इन्फ्रा पोजेक्ट्स प्रा0 लि0 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश "The impugned order dated 29.12.2017 (Annexure-5) shall remain in abeyance till further orders" के आलोक में सफल घोषित करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

6. तकनीकी बीड में असफल निविदाकार M/s H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. द्वारा अपने पत्रांक–4572 दिनांक

पत्रांक–1002(अनु0) दिनांक 16.03.2018 द्वारा विषयांकित निविदा पर प्राप्त परिवाद के संबंध में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है :–

6.1 दिनांक 05.12.2017 को आमंत्रित निविदा में निविदाकार M/s H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. के द्वारा M/s H.S. Mehta के पक्ष में निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है, किन्तु M/s H.S. Mahta के H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. में विलय से संबंधित कोई भी प्रमाण/कागजात अपलोड नहीं किया गया है। M/s H.S. Mehta एवं H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. के द्वारा अलग–अलग समान वर्ष का Audit Report अपलोड किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों अलग–अलग Exist कर रहा है। अतः M/s H.S. Mehta के अनुभव को H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. के अनुभव के रूप में नहीं माना जा सकता है। कंपनी कानून के अनुसार, कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। कंपनी के निदेशक केवल एक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के निदेशक/कर्मचारी के अनुभव को कंपनी के अनुभव के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। निविदाकार H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. द्वारा Experience of work done quantity के तहत् Concrete Work, Non-Bituminous Work एवं E/W की मात्रा वाँछित मात्रा से कम है। इस प्रकार H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. के द्वारा experience of work done quantity के तहत् संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण पत्र से वाँछित मात्रा की पूर्ति नहीं हो रही है। इस कारण इन्हें SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5 A(c) के तहत् तकनीकी बीड में असफल घोषित करने हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसा किया गया। जिसके आलोक में दिनांक 24.01.2018 को विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदाकार H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय निविदा समिति के निर्णय के आलोक में उपभागीय पत्रांक–190 दिनांक 25.01.2018 द्वारा दिनांक 29.01.2018 के 4.00 बजे अपराह्न तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार को निदेशित किया गया।

6.2 H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd. द्वारा अपने पत्रांक–4572 दिनांक 25.01.2018 द्वारा इस निविदा के विरूद्ध प्रधान सचिव, पथ निमाण विभाग, बिहार, पटना को परिवाद दिया गया एवं उसकी प्रतिलिपि इस उपभाग को भी दिया गया, जो इस कायालय को दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त हुआ। परिवाद प्राप्त होने के उपरान्त उपभागीय पत्रांक–535 अनु0 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूणियाँ एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार से परिवाद प्राप्त होने की तिथि की सूचना देने हेतु निदेशित किया गया। जिसके आलोक में अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूणियाँ द्वारा अपने पत्रांक–275 दिनांक 22.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त परिवाद पत्र की प्रतिलिपि इस कार्यालय को दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक–1701(ई0)अनु0 दिनांक 08.03.2018 द्वारा उक्त परिवाद जो विभाग में दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त हुआ है, के संबंध में मंतव्य की माँग की गइ है।

चूँकि निविदा के विरूद्ध आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 29.01.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक थी एवं निविदाकार द्वारा उक्त तिथि एवं अवधि बाद आपत्ति की गई है। फलस्वरूप उनका आपत्ति विचारणीय नहीं है।

28.3.18

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

6.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–444(अनु0) दिनांक 13.02.2018 एवं 1002(अनु0) दिनांक 16.03.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :–

6.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड में **Topline Infra Projects Pvt. Ltd.** को सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

6.3 निविदाकार **M/s H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd.** द्वारा प्राप्त परिवाद को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।

6.4 विभागीय ज्ञापांक–601(ई0) दिनांक 24.01.2018 द्वारा लिये गये विभागीय निविदा समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा विषयांकित कार्य के निविदा के वित्तीय बीड खोलकर शीघ्र विभागीय निविदा समिति के अनुमोदनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

6.5 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

28/03/18
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।

28/03/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव–सह–
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

28/3/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह अपर
आयुक्त–सह–विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

28.3.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र0–7 / निविदा–06–28 / 2018 2430 (E) पटना, दिनांक 28/3/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।